

## बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक :

विषय- डा० निरंजन कुमार वैद्य, ऐच्छिक सेवा निवृत्त, सहायक प्राध्यापक, एनाटोमी विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा को 300(तीन सौ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति ।

आदेश- वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 8889 (2) वि० दिनांक 24.12.1986, पत्रांक 1829 वि० (2) दिनांक 07.04.2005 एवं महालेखाकार, बिहार, पटना के ज्ञापांक-जी०ई०-02-B-X-4-125 दिनांक 02.05.2018 के आलोक में डा० निरंजन कुमार वैद्य, ऐच्छिक सेवा निवृत्त, सहायक प्राध्यापक, एनाटोमी विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा को 300(तीन सौ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान स्वीकृति दी जाती है।

- 2) इसमें विभागीय कार्यालय आदेश सं०-888(5) दिनांक 11.07.2018 के द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के तहत संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।
- 3) डा० निरंजन कुमार वैद्य के ऐच्छिक सेवा निवृत्त की तिथि 28.02.2018 है ।
- 4) महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि अपने स्तर पर डा० निरंजन कुमार वैद्य के सभी तरह का बाकी/बेबाकी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर पूर्णतः संतुष्ट हो लेने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगे ।

विश्वासभाजन,

ह० / -

(जगदीश कुमार)

ज्ञापांक- 3/एल-6-1-33/2017- 6 29 (3) /स्वा०, पटना, दिनांक : 20/8/18

प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा० निरंजन कुमार वैद्य, ऐच्छिक सेवा निवृत्त, सहायक प्राध्यापक, एनाटोमी विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा । पत्राचार पता-E-53, रोड नं०-12, राजेन्द्रनगर, थाना कदमकुआँ, डाकघर-राजेन्द्रनगर, जिला-पटना, पिन-800016 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,3,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी